

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, सोमवार, 24 जुलाई, 2023 ई0 श्रावण 02, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग

संख्या 139621/XXVIII-3-2023-E file No-31629 देहरादून, 24 जुलाई, 2023

अधिसूचना

राज्य सरकार, मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या—10 वर्ष 2017) की धारा 121 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

> मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखण्ड) नियमावली, 2023

> > अध्याय I प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानसिक स्वास्थ्य देखरेख (राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण) नियमावली, 2023
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

परिभाषाएं

- (I) इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - (क) "अधिनियम" से मानसिक स्वारथ्य अधिनियम, 2017 (2017 का 10) अभिप्रेत है;
 - (ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप, अभिप्रेत है;

- (ग) "गैर—सरकारी सदस्य" से अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (1) के खंड (छ) से (ढ) के तहत राज्य प्राधिकरण का नामनिर्देशित सदस्य, अभिप्रेत है;
- (घ) धारा से अधिनियम की धारा, अभिप्रेत है;
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और पिरभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम या यथास्थिति भारतीय आयुर्विज्ञान पिरषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) अथवा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 में (1970 का 48) में पिरभाषित हैं, जहां तक वे इस अधिनियम के असंगत न हों, वही होगा, जो अधिनियम या उन अधिनियमितियों, यथास्थिति में हैं।

अध्याय II

राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण

राज्य प्राधिकरण के पदेन 3. .सदस्यों का नामनिर्देशन

- (I) धारा 46 की उपधारा (1) के खंड (क) के अंतर्गत राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग के सचिव या प्रधान सचिव को राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगी।
- (2) राज्य सरकार धारा 46 की उपधारा (1) के खंड (ख), (ग) एवं (घ) के अंतर्गत क्रमशः स्वारथ्य विभाग के मानसिक स्वारथ्य परिचर्या के प्रभारी संयुक्त सचिव, महानिदेशक, चिकित्सा स्वारथ्य एवं परिवार कल्याण या महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा और समाज कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव को राज्य प्राधिकरण के पदेन सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगी।
- (3) राज्य सरकार, धारा 46 की उपधारा (1) के खंड (ड़) के अंतर्गत गृह, वित्त, विधि, समाज कल्याण एवं महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभागों में कम से कम संयुक्त सचिव के रैंक के तीन व्यक्तियों को राज्य प्राधिकरण के पदेन सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगी।

राज्य प्राधिकरण के 4. गैर—सरकारी सदस्यों के चयन का मानदंड

किसी व्यक्ति का राज्य प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्य के रूप में चयन तभी किया जाएगा, जब वह-

- (क) भारत का राष्ट्रिक हो;
- (ख) 67 वर्ष की आयु से अधिक का न हो:
- (ग) नियम 5 में यथा—विनिर्दिष्ट अर्हता और अनुभव रखता हो;

राज्य प्राधिकरण के 5. गैर—सरकारी सदस्यों की अर्हता और अनुभव (1) राज्य सरकार धारा 46 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगी जो प्रतिष्ठित मनोचिकित्सक हो।

- (2) राज्य सरकार धारा 46 की उपधारा (1) के खंड (ज), (झ), (ञ) एवं (ट) के अंतर्गत राज्य प्राधिकरण के रादस्य के रूप में एक मानसिक स्वारथ्य व्यावसायिक, एक मनोचिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, एक नैदानिक मनोवैज्ञानिक और एक मानसिक स्वारथ्य नर्स को नामनिर्दिष्ट करेगी जो अपने संबंधित क्षेत्रों में अधिमानतः 15 वर्ष का अनुभव रखते हैं और राज्य प्राधिकरण में मानसिक स्वारथ्य व्यावसायिक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं।
- (3) राज्य सरकार धारा 46 की उपधारा (1) के खंड (ठ), (ड) एवं (ढ) के अंतर्गत क्रमशः राज्य प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित श्रेणियाँ से दो—दो व्यक्ति नामनिर्दिष्ट करेगी, अर्थात :—

(क) जो व्यक्ति मानसिक रोग से ग्रस्त हैं अथवा थे, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति;

(ख) मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को परिचर्या प्रदाता का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति या परिचर्या प्रदाता का प्रतिनिधित्व संगठन; और

(ग) मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने वाले गैर—सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति।

राज्य प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्य के पद हेतु रिक्ति को खुले विज्ञापन के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित करने के लिए, राज्य में कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों (एक अंग्रेजी तथा एक स्थानीय भाषा) में व्यापक रूप से प्रकाशित किया जाएगा तथा इस विज्ञापन को स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

राज्य प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों के नामनिर्देशन हेतु चयन समिति में एक अध्यक्ष, जो राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे तथा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दो स्वतंत्र विशेषज्ञ होंगे, जो मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या के क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्ति हों।

राज्य प्राधिकरण के 6. गैर—सरकारी सदस्यों के पदों हेतु आवेदन आमंत्रित करना

राज्य प्राधिकरण के 7. गैर—सरकारी सदस्यों के नामनिर्देशन हेतु चयन समिति

राज्य प्राधिकरण के 8. गैर—सरकारी सदस्यों के नामनिर्देशन हेतु प्रक्रिया (1) नियम 7 के अधीन गठित चयन समिति विभाग द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार करेगी तथा उन आवेदनों की संवीक्षा, जो धारा 46, नियम 4 और नियम 5 की अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

(2) चयन समिति द्वारा अधिनियम तथा इन नियमों के प्रावधानों के संबंध में राज्य प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में चयनित किये जाने वाले आवेदकों की उपयुक्तता पर निर्णय किया जाएगा :

परंतु, नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्ति के मामले में, उन व्यक्तियों को अधिमान दिया जाएगा, जिसे मानसिक रुग्ण व्यक्तियों का उपचार करने का 10 वर्ष का अनुभव हो। (3) राज्य सरकार चयन समिति द्वारा राज्य प्राधिकरण के सदस्य के रूप में चयनित व्यक्तियों का नामनिर्देशन करेगी।

के 9. प्राधिकरण गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि और भत्ते

 नियम 8 के अधीन नामनिर्दिष्ट प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य अपने नामनिर्देशन की तिथि से एक बार में 3 वर्ष तक की अवधि तक अपना पद धारण करेगा।

(2) प्रत्येक गैर—सरकारी सदस्य राज्य प्राधिकरण की बैठक में शामिल होने के लिए बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा ऐसे अन्य भत्ते का हकदार होगा जो राज्य सरकार के आयोगों या समिति या समितियों के ऐसे आयोग या समिति की बैठक में भाग लेने वाले गैर सरकारी सदस्यों को लागू होता है।

राज्य सरकार, राज्य प्राधिकरण या बोर्ड के क्रियाकलापों से 10 संबंधित सूचना आवधिक रूप में या जब भी इसको आवश्यकता हो, मांग सकेगी और राज्य प्राधिकरण या बोर्ड,

यथास्थिति प्ररूप-क में ऐसी सूचना देगा।

सूचना देना

अध्याय III

राज्य प्राधिकरण द्वारा मानसिक स्वास्थ्य स्थापनाओं हेतु अनंतिम रजिस्ट्रीकरण

Interesting to

fre schools d

स्थापनाओं अनंतिम रजिस्ट्रीकरण हेतु जाएगा। प्रक्रिया

प्राधिकरण द्वारा 11 (1) केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन मानसिक स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को छोड़कर, राज्य में प्रत्येक मानसिक स्वास्थ्य के स्थापन को राज्य प्राधिकरण के अधीन रिजस्ट्रीकृत किया

(2) उपनियम (1) में सन्दर्भित प्रत्येक मानसिक स्वारथ्य रथापना अनंतिम रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन उस स्थान, जहां राज्य प्राधिकरण स्थित है, को देय राज्य मानसिक स्वारथ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष के पक्ष में आहरित मांग देय ड्रॉफ्ट के माध्यम से दो हजार रुपए के शुल्क के साथ प्ररूप-ख जिसमें सभी विनिर्दिष्ट ब्यौरा है, में राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

(3) राज्य प्राधिकरण यह संतुष्टि होने पर कि मानसिक स्वास्थ्य स्थापन अधिनियम की धारा 65 और 66 में विनिर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है. ऐसी मानसिक स्वारथ्य स्थापन को प्ररूप-ग में एक अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

नियम 11 के उपनियम (3) के अंतर्गत प्रदत्त अनंतिम पंजीकरण प्रमाण पत्र ऐसे प्रदान करने की तारीख से 12 महीनों की अवधि के लिए वैध होगा और इस प्रमाण-पत्र के नवीकरण हेतु आवेदन इस प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व तीस दिनों के भीतर प्ररूप-ख में करना होगा तथा यदि इस विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन नहीं

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र 12. की वैधता और नवीकरण

किया जाता तो संबंधित मानसिक स्वास्थ्य स्थापना राज्य ्रमानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, जहां राज्य प्राधिकरण रिथत है, के अध्यक्ष के पक्ष में आहरित देय एक मांग देय ड्रॉफ्ट के माध्यम से बीस हजार रु. नवीकरण शुल्क के भुगतान आहरित का उत्तरदायी होगा।

डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र 13. यदि किसी मानसिक स्वास्थ्य स्थापन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण नष्ट हो जाता है या गुम हो जाता है या विकृत या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो, ऐसे स्थापना द्वारा राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष के पक्ष में आहरित, जहां राज्य प्राधिकरण स्थित है, में देय एक मांग देय ड्रॉफ्ट के माध्यम से दो हजार रुपए के शुल्क के साथ आवेदन करने पर राज्य प्राधिकरण डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र जारी कर सकेगी।

डिजिटल रजिस्टर का 14. धारा 71 के उपबंधों के अनुसार, राज्य प्राधिकरण द्वारा सभी मानसिक स्वास्थ्य स्थापनाओं का प्ररूप-घ में डिजिटल रूप में एक श्रेणी-वार रजिस्टर बनाया जाएगा।

अध्याय-IV वित्त लेखा एवं लेखा परीक्षा

एवं लेखा परीक्षा

- राज्य प्राधिकरण के लेखा 15. (1) राज्य प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष के संबंध में अपनी आय और व्यय का लेखा जोखा रखेगा तथा आय और व्यय लेखा तथा तुलन पत्र को सम्मिलित करते. हुए वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा।
 - (2) लेखाओं का वार्षिक विवरण लेखा परीक्षा हेतु केन्द्रीय स्वायत्त निकाय के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामान्य लेखा प्रारूप में या परिस्थितियों के अनुसार लगभग वैसे ही, प्रत्येक वर्ष 30 जून तक प्रस्तुत किया जाएगा।
 - (3) उपनियम (1) के अंतर्गत तैयार किए गए वार्षिक लेखा विवरण पर लेखा प्रभारी तथा प्रमुख कार्यपालक अधिकारी के द्वारा राज्य प्राधिकरण की ओर से हस्ताक्षर किया जाएगा तथा राज्यप्राधिकरण द्वारा इसका अनुमोदन किया जाएगा।

प्राधिकरण वार्षिक रिपोर्ट

- की 16 (1) राज्य प्राधिकरण प्ररूप-(ड.) में अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए वित्त वर्ष के समाप्त होने के नौ माह के भीतर राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।
- (2) इस वार्षिक रिपोर्ट में पूर्व वर्ष के दौरान राज्य प्राधिकरण के सभी कार्यकलापों के साथ-साथ इस वर्ष के लेखा परीक्षित लेखाओं तथा इस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी सम्मिलित होगी।

अध्याय V मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं की लेखा परीक्षा, निरीक्षण और पूछताछ

मानसिक स्वास्थ्य 17. संस्थाओं की लेखा परीक्षा

- स्वास्थ्य 17. (1) राज्य प्राधिकरण, पंजीकृत मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं परीक्षा की लेखा परीक्षा संचालित करवाने के प्रयोजनार्थ, निम्नलिखित में से एक या अधिक व्यक्तियों को प्राधिकृत करेगा ताकि अधिनियम में विनिर्धारित न्यूनतम मानकों का इन मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, नामतः
 - (क) उस जिले के जिलाधीश या जिलायुक्त का प्रतिनिधि जहां उक्त मानसिक स्वारथ्य स्थापना रिथत है:
 - (ख) उस राज्य के राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रतिनिधि जहां उक्त मानसिक स्वास्थ्य स्थापना स्थित है:
 - (ग) कोई मनोचिकित्सकं जो सरकारी सेवा में है;
 - (घ) कोई मनोचिकित्सक जो निजी व्यवसाय (प्रैक्टिस) में है;
 - (ङ) कोई मानसिक स्वास्थ्य व्यावसायिक जो मनोचिकित्सक नहीं है:
 - (च) मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत किसी गैर—सरकारी संगठन का प्रतिनिधि;
 - (छ) मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को परिचर्या सेवा देने वाले व्यक्तियों या उन परिचालकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के प्रतिनिधि; और
 - (ज) उन व्यक्तियों के प्रतिनिधि जिन्हें मानसिक रोग है या जिन्हें मानसिक रोग रह चुका है।
 - (2) रजिस्ट्रीकृत मानसिक स्वास्थ्य स्थापना की लेखा परीक्षा संचालित करवाने के लिए, राज्य प्राधिकरण, राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष के पक्ष में आहरित और जहां राज्य प्राधिकरण स्थिति है, में देय मांग देय ड्रॉफ्ट के माध्यम से दस हजार रुपए का शुल्क प्रभारित करेगा।

मानसिक स्वास्थ्य 18. प्रतिष्ठानों का निरीक्षण और जांच

- (1) राज्य प्राधिकरण, स्वतः या किसी भी व्यक्ति से प्राप्त शिकायत पर अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम मानकों के गैर—अनुपालन या उसके किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के संबंध में निम्नलिखित में से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले किसी भी मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान का निरीक्षण और जांच का आदेश दे सकता है, अर्थात् :-
 - (क) सरकारी सेवा करने वाला कोई मनोचिकित्सक:
 - (ख) निजी व्यवसाय करने वाला कोई मनोचिकित्सक:
 - (ग) कोई मानसिक स्वारथ्य व्यावसायिक जो मनोचिकित्सक नहीं है;

(घ) मानसिक स्वारथ्य के क्षेत्र में कार्यरत किसी गैर—सरकारी संगठन का प्रतिनिधि;

(ड.) पुलिस थाने का प्रभारी पुलिस अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में मानसिक स्वारथ्य स्थापना स्थित है:

(च) जिले का जिला अधिकारी या जिला आयुक्त का प्रतिनिधि जहां मानसिक स्वास्थ्य स्थापन रिथत है।

(2) राज्य प्राधिकरण या उपनियम (1) के अधीन अधिकृत व्यक्ति, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति रिजर्ट्रीकरण के बिना मानसिक स्वास्थ्य स्थापना चला रहा है या अधिनियम के द्वारा या उसके तहत निर्दिष्ट न्यूनतम मानकों का पालन नहीं कर रहा है या अधिनियम के किसी भी प्रावधान या इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों का उल्लंघन कर रहा है, ऐसे मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में प्रवेश और तलाशी कर सकता है।

(3) तलाशी के दौरान, राज्य प्राधिकरण या इसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति मानिसक स्वास्थ्य व्यावसायिक प्रभारी, मानिसक स्वास्थ्य स्थापन से राज्य प्राधिकरण के साथ अपने रिजस्ट्रीकरण से संबंधित मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है और मानिसक स्वास्थ्य स्थापन के लिए ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आबद्धकर होगा।

(4) उपनियम (3) के अधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापना की तलाशी पूरा करने के दो दिनों के भीतर, ऐसी तलाशी के निष्कर्षों की एक लिखित रिपोर्ट प्राधिकरण के अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी।

(5) राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष, उपनियम (4) के अधीन लिखित रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चूक करने वाले मानसिक स्वास्थ्य स्थापना के खिलाफ़ जैसा उचित समझे, कार्रवाई करेगा।

न्यूनतम मानक

19. राज्य मानसिक स्वारध्य स्थापनों की स्थापना एवं संचालन हेतु निर्धारित न्यूनतम मानक उपरोक्त नियमों के अधीन रहेंगे।

कठिनाईयों का निवारण 20. मानसिक स्वारथ्य देखरेख (राज्य मानसिक स्वारथ्य प्राधिकरण) नियम, 2018 के मौलिक स्वरूप को यथावत् रखा जाएगा, परन्तु यदि इन नियमों के अन्तर्गत कियान्वयन में कोई कठिनाई होती है तो, इस हेतु परिवर्तन—परिवर्धन के लिये मा0 मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

प्ररूप क

[नियम 10 देखें]

राज्य प्राधिकरण / बोर्ड के क्रियाकलापों से संबंधित जानकारी

- 1. अधिसूचित नए विनियमः
- 2. वर्ष के दौरान पारित आदेशों की संख्याः
- 3. वर्ष के दौरान आयोजित बैठकें:
- 4. राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन मानसिक स्वारथ्य स्थापनाओं की संख्या और इनका विवरणः
- 5. राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में मानसिक स्वारथ्य स्थापनाओं की संख्या और इन का विवरणः
- 6. राज्य प्राधिकरण द्वारा मानसिक स्वास्थ्य व्यावसायिकों का रजिस्ट्रीकरणः
- केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त संदर्भों पर विवरण तथा उस पर की गई कार्रवाई:
- 8. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अधीन विभिन्न श्रेणियों के मानसिक स्वास्थ्य स्थापनाओं के लिए गुणवत्ता और सेवा प्रावधान के मानदंडः
- 9. मानिसक स्वास्थ्य देख—रेख अधिनियम, 2017 के उपबंधों और कार्यान्वयन के बारे में विधि प्रवर्तन अधिकारियों, मानिसक स्वास्थ्य व्यावसायिकों और अन्य स्वास्थ्य व्यावसायिकों सहित व्यक्तियों का प्रशिक्षणः
- 10. मानिसक स्वारथ्य स्थापनाओं के पंजीकरण के लिए प्राप्त हुए, स्वीकृत तथा अस्वीकृत आवेदन और साथ ही ऐसी अस्वीकृति के कारणः
- 11. लेखा परीक्षा रिपोर्टो के साथ मानसिक स्वास्थ्य स्थापनाओं की लेखा परीक्षा
- 12. मानसिक रोगियों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित प्राप्त शिकायतें और उन पर की गई कार्रवाई:
- 13. चिकित्सा व्यावसायिकों और मानसिक स्वास्थ्य व्यावसायिकों के लिए मार्ग निर्देशन संबंधी दस्तावेज संबंधी ब्यौराः
- 14. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 की धारा 22 के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित रजिस्ट्रीकृत मामलों की संख्या और इनका ब्यौराः
- 15. मानसिक स्वास्थ्य स्थापनाओं के निरीक्षण और जांच का विवरणः
- 16. प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में की गई अपीलों की संख्या और इनकी स्थितिः
- 17. सेवाओं के प्रावधान में किमयों से संबंधित प्राप्त शिकायतें और इन पर की गई कार्रवाई:
- 18. पणधारियों के साथ परामर्शः
- 19. प्राधिकरण / बोर्ड द्वारा प्रारंभ की गई जांचः
- 20. प्रशासन और खापना संबंधी मामलेः
- 21. तुलन-पत्र, आय और व्यय खाता आदि व्यौरों के साथ बजट और खातेः
- 22. अन्य कोई भी सुसंगत मामलाः

प्ररूप-ख

[नियम. 11(2) व 12 देखें]

मानसिक स्वास्थ्य स्थापना के रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की मंजूरी हेतु आवेदन

सेवा में	
विभाग राज्य सरकार	**
महोदय/महोदया,	
मैं / हम मानसिक स्वास्थ्य स्थापना नामत:अनंतिम रजिर रजिरट्रीकरण / अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की अनुमति के लिए चाहते हैं जिसके लिए मेरे / हमारे पास ऐसे अस्पताल / परिचर्यागृह की र हेतु वैध अनुज्ञप्ति / रजिस्ट्रीकरण है। अस्पताल / नर्सिंगहोम का विवरण नि	र आवदन करना स्थापना/अनुरक्षण
1. आवेदक का नाम	
2. अनुज्ञप्ति जारी करने वाले प्राधिकारी के नाम के संदर्भ में अनुज्ञप्ति का	विवरण व दिनांक
3. आयु	1
4. मनश्चिकित्सा में व्यावसायिक अनुभव	
5. आवेदक का स्थायी पता	
6. प्रस्तावित अस्पताल / परिचर्या गृह का स्थान	•••••
7. प्रस्तावित परिचर्या गृह/अस्पताल का पता	
 प्रस्तावित आवासः 	
क. कमरों की संख्या	
ख, पलंगों की संख्या	
ग. प्रदान की जाने वाली सुविधाएं	
घ. बाह्य-रोगी	
ड. आपातकालीन सेवाएं	
म अंतरंग-रोगी स्विधाएं	

तारीख.....

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 24 जुलाई, 2023 ई० (श्रावण 02, 1945 शक सम्वत्)

प्ररूप-ग

(नियम 11 (3) देखें)

रजिस्ट्रीकरण/अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का प्रमाण पत्र

राज्य प्राधिकारी, मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख अधिनियम, 2017 की धारा 65 (2) या धारा 66
(3) या धारा 66 (10) के अधीन तारीख कोप्रस्तुत आवेदन
पर विचार करने के जपरांत नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार धारा 66 (4) अथवा धारा 66
(11) के तहत एतदद्वारा अनंतिम रिजरट्रीकरण/अनंतिम रिजरट्रीकरण का नवीकरण प्रदान
करता है:
- 티버
чпі
बिस्तरों की संख्या
जारी किया गया अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र मानसिक स्वास्थ्य देख—रेख अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में निर्धारित शर्तों के अधीन है और यह जारी करने की तारीख से 12 मास की अवधि के लिए वैध रहेगा और इसका नवीकरण
कराया जा सकता है।
स्थान
तारीख
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की मुद्रा

प्ररूप—घ (नियम 14 देखें) मानसिक स्वास्थ्य स्थापना का रजिस्टर (डिजिटल रूप में)*

श्रेणी.....

क्रसं.	आवेदक का नाम और पता	स्थापना का नाम और पता	आवेदन की तारीख	पंजीकरण के विवरण और तारीख	बिस्तरों की संख्या	अभियुक्तियां
11		m m	No or all a	7 1	in France	
	Page 1 - 1 P		111111		61 1 30 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1	Sultrat .
1 1	1.00	1 1 1	28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Sey" -		4. 20
	7 - 1 Tak 19.	100	To y 15-77 or it is			- pri 1 3 4 1
		10.	24 gir pichega - 4	10 C 10 C	The first of	
- "			1444	[XII 13.5.693]		- TV

^{*}मानसिक स्वारथ्य स्थापना की प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक तालिका

प्ररूप—ड़ (नियम 16 (1) देखें)

राज्य प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट

- 1. परिचय
- 2. प्राधिकारी के सदस्यों की प्रोफाइल
- 3. विनियम का विस्तार
- 4. अधिसूचित / जारी नए विनियम / प्रक्रिया इत्यादि
- 5. प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश
- 6. वर्ष के दौरान राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित बैठक
- 7. राज्य सरकार के नियंत्रण में मानसिक स्वास्थ्य स्थापनाएं
- 8. राज्य में मानसिक स्वास्थ्य स्थापनाएं
- 9. राज्य प्राधिकारियों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य व्यावसायियों का पंजीकरण
- 10. केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भों का विवरण और उन पर की गई कार्रवाई
- 11. केंद्र और राज्य सरकारों को भेजे गए संदर्भों का विवरण और उन पर संबंधित सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई
- 12. राज्य सरकार के अधीन विभिन्न प्रकार की मानसिक स्वास्थ्य स्थापनाओं की गुणवत्ता और सेवा प्रावधान के मानक
- 13. राज्य सरकार के अधीन मानसिक स्वास्थ्य स्थापनाओं का पर्यवेक्षण और उनमें सेवाओं के प्रावधान की कमी के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्रवाई
- 14. मानसिक स्वास्थ्य देख—रेख अधिनियम, 2017 के उपबंधों और कार्यान्वयन के बारे में विधि प्रवर्तन अधिकारियों, मानसिक स्वास्थ्य व्यावसायिकों और अन्य स्वास्थ्य व्यावसायिकों सहित व्यक्तियों का प्रशिक्षण
- 15. मानसिक स्वास्थ्य स्थापनाओं के पंजीकरण के लिए प्राप्त, स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदन और ऐसी अस्वीकृतियों के कारण
- 16. मानसिक रवारथ्य रथापनाओं की लेखा परीक्षा
- 17. मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों के हनन संबंधी प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई
- 18. चिकित्सा व्यवसायियों और मानसिक स्वास्थ्य व्यावसायिकों के लिए दिशानिर्देशों के दस्तावेजों का ब्यौरा
- 19. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन
- 20. महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 की धारा 22 के अधीन कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी ब्यौरा
- 21. मानसिक खारथ्य स्थापनाओं का निरीक्षण और जांच
- 22. प्राधिकरण के आदेश विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील और उनकी स्थिति
- 23. अग्रिम निर्देशों के प्रयोग के पुनर्विलोकन की रिथति और इस संबंध में प्राधिकरण की सिफारिशें
- 24. सेवाओं के प्रावधान में किमयों संबंधी प्राप्त शिकायतें और उन पर की गई कार्रवाई

- 25. पर्णधारियों से परामर्श
- 26. प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई जांच 27. प्रशासनिक और स्थापना मामले
- 28. वार्षिक लेखा
- 29- अन्य कोई मामला जिसे प्राधिकरण की राय में विशिष्ट रूप से दर्शाना आवश्यक है।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.139621/XXVIII-3-2023-E file No-31629, dated July 24, 2023 for general information.

No. 139621/XXVIII-3-2023-E file No-31629 <u>Dated Dehradun</u>, July 24, 2023

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 121 of the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017), the State Government with the previous approval of the Central Government, makes the following Rules, namely:-

THE UTTARAKHAND MENTALHEALTHCARE (STATE MENTAL HEALTH AUTHORITY) RULES, 2023

CHAPTER—I PRELIMINARY

Short title, extent and commencement

- 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Mental Healthcare (State Mental Health Authority) Rules 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Definitions

- 2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires;
 - a) "Act" means the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017);
 - b) "Form" means a Form appended to these rules;
 - c) "non-official member" means a member of the State Authority nominated under clauses (g) to (n) of sub-section (1) of section 46 of the Act;
 - d) "section" means section of the Act.
 - (2) The words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act or, as the case may be, in the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956) or in the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48 of 1970), in so far as they are not inconsistent with the provisions of the Act, shall have the meanings assassigned to them in the Act or, as the case may be, in those enactments.

CHAPTER II

STATE MENTAL HEALTH AUTHORITY

Nomination of exofficio members of State Authority

- (1) The State Government shall nominate Secretary or Principal Secretary in the Départment of Health as Chairperson of the State Authority under clause (a) of section (1) of section 46.
- (2) The State Government shall nominate Joint Secretary in charge of mental healthcare in the Department of Health, Director General of Medical Health and Family Welfare Department or Director General of Medical Education and Joint Secretary in the Department of Social Welfare as ex officio members of the State Authority respectively under clauses (b), (c) and (d) of sub-section(1) of section 46
- (3) The State Government shall nominate three persons, not below the rank of Joint Secretary in the Departments of Home, Finance, Law, Social welfare and Women empowerment and child developement to be ex officio members of State Authority under clause (e) of subsection (1) of section 46.

A person shall not be selected as a non-official member of State Authority unless, he-

Norms for selection of non-official members of State Authority

- a) Is an Indian National;
- b) Is of the age not exceeding sixty-seven years;
- c) Possesses qualification and experience as specified in rule 5.

Qualification and experience of nonofficial members of State Authority

- (1) The State Government shall nominate one person who is an eminent psychiatristas a member of the State Authority under clause (g) of sub-section (1) of section
- (2) The State Government shall nominate one mental health professional, one psychiatric social worker, one clinical psychologist and one mental health nurse, having preferably of fifteen years' experience in their respective fields and registered as mental health professionals with the State Authority, as members of the State Authority respectively under clauses (h), (i), (j) and (k) of subsection (1) of section 46.
- (3) The State Government shall nominate two persons each from the following categories as members of the State Authority respectively under clauses (l), (m) and (n) of

sub-section (1) of section 46, namely:-

- a) Persons representing persons who have or have had mental illness;
- b) Persons representing care-givers of persons with mental illness or organisations representing caregivers; and
- c) Persons representing non-governmental organisations which provide services to persons with mental illness.

Invitation of application for the posts of non-official members of State Authority

A vacancy for the post of non-official member of the State Authority shall be given wide publicity through open advertisement in at least two daily newspapers (one English and one local language) having wide circulation in the State and the advertisement shall also be made available on the website of the Department of Health.

Selection
Committee for
nomination of
non-official
members of State
Authority

The Selection Committee for nomination of non-official members of the State Authority shall consist of a Chairperson who shall be the Chairperson of the State Authority and two independent experts of eminence in the field of mental healthcare, to be nominated by the State Government.

Procedure for nomination of non-official members of State Authority

- (1) The Selection Committee constituted under rule 7 shall consider all applications received by the Department and scrutinize such applications which fulfill the requirements of section 46 and rules 4 and 5.
- (2) The Selection Committee shall, having regard to the provisions of the Act and these rules, decide about the suitability of the applicants for being selected as members of the State Authority:

Provided that in case of persons to be nominated under sub-rule (3) of rule 5, preference shall be given to the persons with ten years of experience in dealing with persons with mental illness.

(3) The State Government shall nominate the persons selected by the Selection Committee as members of the State Authority.

Term of office and allowances of nonofficial members of State Authority

- (1) Every non-official member nominated under rule 8 shall hold his office for a term of three years at a time from the date of his nomination.
- (2) Every non-official member attending the meeting of the State Authority shall be entitled to sitting allowance, travelling allowance, daily allowance and such other

allowances as are applicable to non-official members of the Commissions and Committees of the State Government attending the meeting of such Commission or Committee.

Furnishing information

of 10.

The State Government may call for information concerning the activities of the State Authority or the Board periodically or as and when required by it and the State Authority or the Board, as the case may be, shall furnish such information in Form-A.

CHAPTER III

PROVISIONAL REGISTRATION OF MENTAL HEALTH ESTABLISHMENTS BY STATE AUTHORITY

Procedure for 11.
provisional
registration of
mental health
establishments by
State Authority

- (1) Every mental health establishment in a State, except the mental health establishment under the Control of the Central Government, shall be registered with the State Authority.
- (2) Every mental health establishment referred to in sub-rule (1) shall submit an application for provisional registration to the State Authority in Form-B, containing details as specified therein, along with a fee of rupees two thousand by way of a demand draft drawn in favour of the Chairperson, State Mental Health Authority payable at the place where the State Authority is situated.
- (3) The State Authority shall, on being satisfied that the mental health establishment fulfils all the requirements as specified in sections 65 and 66, grant to such mental health establishment, a provisional registration certificate in Form-C.

Validity and 12. renewal of certificate of registration

The provisional registration certificate granted under subrule (3) of rule 11 shall be valid for a period of twelve months from the date of such grant and an application for renewal of such certificate shall be made in Form-B within thirty days before the date of expiry of the period of validity of such certificate and in case application is not made within the specified period, the mental health establishment concerned shall be liable to pay renewal fee of rupees twenty thousand by way of a demand draft drawn in favour of the Chairperson, State Mental Health Authority payable at the place where the State Authority is situated.

Issue of duplicate 13. certificate

Where a certificate of registration granted to a mental health establishment is destroyed or lost or mutilated or damaged, the State Authority may issue a duplicate certificate on an application made by such establishment along with a fee of rupees two thousand by way of a demand draft drawn in favor of the Chairperson, State Mental Health Authority payable at the place where the State Authority is situated.

Maintenance of 14. digital register

A category-wise register in Form-D of all registered mental health establishments shall be maintained by the State Authority in digital format in accordance with the provisions of section 71.

CHAPTER IV

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

Accounts and 15 audit of State Authority

(1) The State Authority shall maintain accounts of its income and expenditure relating to each year and prepare an annual Statement of accounts consisting of income and expenditure account and the balance sheet.

(2) Annual statement of accounts shall be submitted for audit not later than 30th June each year in the common accounting format prescribed from time to time by the Ministry of Finance for the central autonomous bodies or as nearer thereto as the circumstances admit.

(3) The annual statement of accounts prepared under subrule (1) shall be signed on behalf of the State Authority by the officer in-charge of accounts and the Chief Executive Officer and shall be approved by the State Authority.

Annual report of 16. the State Authority

(1) The State Authority shall prepare its annual report in Form-E and forward it to the State Government within nine months of the end of the financial year for being laid before each House of State Legislature.

(2) The annual report shall give a full account of the activities of the State Authority during the previous year and shall include the audited accounts of the year and the report of the Comptroller and Auditor General of India thereon

CHAPTER V

AUDIT, INSPECTION AND ENQUIRY OF MENTAL HEALTH ESTABLISHMENTS

Audit of mental 17. health establishments

- (1) The State Authority shall, for the purpose of conducting audit of registered mental health establishments in the State, authorize one or more of the following persons to ensure that such mental health establishments comply with the minimum standards specified under the Act, namely:-
 - (a) a representative of the District Collector or District Commissioner of the district where the mental health establishment is situated;
 - (b) a representative of the State Human Rights Commission of the State where the mental health establishment is situated;
 - (c) a Psychiatrist who is in Government service;
 - (d) a Psychiatrist who is in private practice;
 - (e) a mental health professional who is not a psychiatrist;
 - (f) a representative of a non-governmental organization working in the area of mental health;
 - (g) representatives of the care-givers of persons with mental illness or organisations representing caregivers; and
 - (h) representatives of the persons who have or have had mental illness.
- (2) For conducting audit of registered mental health establishment, the State Authority shall charge a fee of rupees ten thousand by way of a demand draft drawn in favour of the Chairperson, State Mental Health Authority payable at the place where the Authority is situated.

Inspection and 18. inquiry of mental health establishments

- (1) The State Authority may, suo moto or on a complaint received from any person with respect to non-adherence of minimum standards specified by or under the Act or contravention of anyprovision thereof, order an inspection and inquiry of any mental health establishment, to be made by one or more of the following persons, namely:-
 - (a) A Psychiatrist in Government service;
 - (b) A Psychiatrist in private practice;
 - (c) A mental health professional who is not a psychiatrist;

- (d) A representative of a non-governmental organization working, in the area of mental health;
- (e) a police officer in charge of the police station underwhose jurisdiction, the mental health establishment is situated;
- (f) a representative of the District Collector or District Commissioner of the district where the mental health establishment is situated.
- (2) The State Authority or the person authorized by it under sub-rule (1) may, if it has reasons to believe that a person is operating a mental health establishment without registration or is not adhering to the minimum standards specified by or under the Act or has been contravening any of the provisions of the Act or the rules and regulations made thereunder, enter and search such mental health establishment.
- (3) During search, the State Authority or the person authorized by it may require the mental health professional in charge of the mental health establishment to produce the original documents relating to its registration with the State Authority and it shall be obligatory on the part of the mental health establishment to produce such documents.
- (4) Within two days of completing search of the mental health establishment under sub-rule (3), a written report of the findings of such search shall be submitted to the Chairperson of the Authority.
- (5) The Chairperson of the State Authority, shall, on receipt of the written report undersub-rule (4), take such action as it deems fit, against the defaulting mental health establishment in accordance with the provisions of the Act.

Minimum standards

19. The Minimum standards prescribed for the establishment and operation of state mental health establishments will be subject to the above rules.

Removal difficulties

of 20. The basic nature of the Mental Health Care (State Mental Health Authority) Rules, 2018 shall be kept unchanged, but if there is any difficulty in implementation under these rules, then the Hon'ble Chief Minister will be authorized to make changes and additions for this.

Form-A

(Seerule10]

INFORMATION ON THE ACTIVITIES OF THE STATE AUTHORITY/BOARD

- (1) New Regulations notified:
- (2) Number of orders passed during the year:
- (3) Meetings held during the year:
- (4) Number and details of mental health establishments under the control of the State Government
- (5) Number and details of mental health establishments in the State or Union Territory:
- (6) Registration of mental health professionals by the State Authority:
- (7) Statement on references received from the Central Government and the State Government and action taken thereon:
- (8) Quality and service provision norms for different types of mental health establishments under the State Government:
- (9) Training imparted to persons including law enforcement officials, mental health professionals and other health professionals about the provisions and implementation of the Mental Health care Act, 2017:
- (10) Applications for registration of mental health establishments received, accepted and rejected along with reasons for such rejection:
- (11) Audit of Mental Health Establishments along with audit reports:
- (12) Complaints received regarding violation of rights of Mentally ill persons and action taken thereon:
- (13) Details regarding guidance document for medical practitioners and mental health professionals:

- (14) Number of cases registered regarding Sexual Harassment of Women at Workplace under section 22 of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 and details thereof:
- (15) Details of inspection and inquiry of Mental Health Establishments:
- (16) Number of appeals to High Court against order of Authority and status thereof:
- (17) Complaints received regarding deficiencies in provision of services and action taken thereon:
- (18) Stakeholders Consultations:
- (19) Inquiry initiated by the Authority/Board:
- (20) Administration and establishment matters:
- (21) Budget and Accounts with details including balance sheet, income and expenditure account, etc.:
- (22) Any other matter which may be relevant:

Form-B

[Seerules11(2)and12]

APPLICATION FOR GRANT OF PROVISIONAL REGISTRATION/ RENEWAL OF PROVISIONAL REGISTRATION OF A MENTAL HEALTH ESTABLISHMENT

To		
The		
Depar	rtment of	
State	Government of	
1 - *		
Dear	Sir/Madam,	200
of pr namely are hold	ovisional registration for the Mental Health Establishment of which I am ling a valid license/registration for theestablishment/ maintenance of s nursing home. Details of the hospital/nursing home are given below:	nent /we
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Name of applicant Details of license with reference to the name of the authority issuing license and date	

Name

उत्तराखण्ड असाघारण गजट, 24 जुलाई, 2023 ई0 (श्रावण 02, 1945 शक सम्वत्)

106

Date

Form-C

[seerule11(3)]

CERTIFICATE OF PROVISIONAL REGISTRATION/ RENEWAL OF PROVISONAL REGISTRATION

The State Aut					
Healthcare Act, registration to the	2017, hereby a	ccords provis	ional registrati	ion/renewal of p	provisional
orsection 66(11).					
	and the second second				
Name:	A section of the sect			and the first	
Address				<u> </u>	
No. of beds					

The provisional the Mental Healt shall be valid for	th care Act, 201	7 and the ru	les and regulati	ions made there	under and
renewed.	F		4-3-00		
Place:					
Date:					
Registration Au	thority:	10 I			
			Seal of	the Registration	Authority

FORM—D

(See rule 14)

Register of Mental Health Establishments (in digital format)*

Category	′
----------	---

S. No.	Name And Address Of the applicant	Name of the establishment and address	Date of the application	Date and Particulars of Registration	No. of beds	Remarks
			de that an			gh V
		fi s		No. of the last	50 W. II	1
		A	·		· A no	
		X III		100 a 2 3 5 0 c mg "	ny Carl	
	1	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	D 42.50, 2.		The hard	
			ು ಕ್ಷ್	er ya ara	Total Tagle	

^{*}Separate table for each category of mental health establishment.

Form-E

[See rule16(1)]

Annual Report of State Authority

- 1. Introduction
- 2. Profile of the Authority's Members
- 3. Scope of Regulation
- 4. New Regulations/procedures etc. notified/issued
- 5. Orders passed by the Authority
- 6. Meetings of the State Mental Health Authority held during the year
- 7. Mental health establishments under the control of the State Government
- 8. Mental health establishments in the State
- 9. Registration of mental health professionals by the State Authorities
- 10. A statement on references received from Central and State Governments and action taken thereon
- 11. A statement on references sent to the Central and State Governments and action taken thereon by the respective Governments
- 12. Quality and service provision norms for different types of mental health establishments under the State Government
- 13. Supervision of mental health establishments under the State Government and action taken on the complaints received about deficiencies in provision of services therein
- 14. Training imparted to persons including law enforcement officials, mental health professionals and other health professionals about the provisions and implementation of the Mental Health care Act, 2017
- 15. Applications for registration of mental health establishments received, accepted and rejected along with reasons for such rejection.
- 16. Audit of Mental Health Establishments
- 17. Complaints received regarding violation of rights of Mentally ill persons and action taken thereon
- 18. Details regarding guidance document for medical practitioners and mental health professionals
- 19. Implementation of RTI Act, 2005
- Details regarding Sexual Harassment of Women at Workplace under Section 22
 of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition
 and Redressal) Act, 2013.
- 21. Inspection and Inquiry of Mental Health Establishments
- 22. Appeals to High Court against order of Authority and status thereof
- 23. Status of review of use of advance directives and recommendations of the Authority in respect thereof.
- 24. Complaints received about deficiencies in provision of services and action taken thereon.
- 25. Stakeholders Consultations
- 26. Inquiry initiated by the Authority
- 27. Administration and establishment matters
- 28. Annual accounts
- 29. Any other matter which in the opinion of the Authority needs to be highlighted